कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक 220600106 / जे.डी.ए.–तलपट मानचित्र–(2012–13) दिनांक : 23 अगस्त, 2012

श्री महेश शर्मा पुत्र श्री एस.पी.सिंह,
840 / 3, मधुर बिहार कॉलोनी,
वास्ते मैसर्स मदाकिनी स्टेट प्रा.लि.
एवं बसेरा बिल्डर्स झांसी।

आपके पत्र दिनांक 16.04.2010 मानचित्र सं. 261100611 के संदर्भ में आपके संशोधित प्रस्तावित ले–आउट को **Arazi no. 10 (0.279 hect.), 13 (0.279 hect.), 19/1 (0.712 hect.), 15/4 (0.817 hect.), 20/2 (0.162 hect.), 21 (0.234 hect.), 151 मि० (0.105 hect.), 151/3 (0.061 hect.), 156 (0.028 hect.), 160 क (0.239 hect.), 161 (0.125 hect.), 162 (0.231 hect.), 165 (0.304 hect.), 166 (0.599 hect.), 15/3 (0.821 hect.), 141/2 (0.057 hect.), 158 (0.117 hect.), 159 (0.036 hect.), 158 ख (0.219 hect.), 160 ग (0.032 hect.), 15/2 (0.817 hect.), 20/1 (0.445 hect.), 151/2 (0.364 hect.), 11 ख (0.202 hect.), 12 (0.384 hect.), 151ग (0.502 hect.), 156 मि० (1.610 hect.), 153 (0.162 hect.), 154 (0.720 hect.), 155 (1.080 hect.), 25/1 (0.397 hect.), 25/2 (0.591 hect.), 149/1 (0.065 hect.), 149/2 (0.246 hect.), 11ग (0.024 hect.), 163 (0.065 hect.), 164 (0.194 hect.), 15/1 (0.817 hect.), 11 मि० (0.081 hect.), 9 (1.263 hect.), 151 ख (0.077 hect.), 19/2 (0.352 hect.) & 19ग (0.32 hect.) of Mauja Buda & Arazi no. 443 (1.020 hect.), 444 अ (0.567 hect.), 444 ब (0.437 hect.), 424 (1.562 hect.), 435 (1.222 hect.), 442 (1.858 hect.), 425 (1.546 hect.), 437 (0.785 hect.), 427 (0.637 hect.), 428 मि० (1.037 hect.), 440 (1.781 hect.), 426 (1.704 hect.), 436 (0.631 hect.), 402 मि० (0.665 hect.), 434 (1.060 hect.) & 429 (0.635 hect.) of Mauja Bhojla,** के मानचित्र में दर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृति, मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृति मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है –
    - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तो को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
    - समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
    - योजना के मध्य आने वाली ग्राम सभा की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए तथा न ही किसी चक रोड को बन्द किया जायेगा।
12. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
13. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तो के अधीन है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।
प्रतिलिपि :– अवर अभियंता ..... को प्रेषित।

29.12

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण